माननीय सदस्य महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्र. /2016 निगरानी निग - 1333 - II / 16

1. कैलाश पिता लालूजी बागरी उम्र 40 वर्ष,
2. हरीराम पिता लालूजी बागरी उम्र 38 वर्ष
3. बाबूलाल पिता लालूजी बागरी उम्र 34 वर्ष,

समस्त निवासीगण ग्राम हुमखेड़ी तह. जावरा जिला रतलाम (म.प्र.) ....निगरानीकर्ता/आवेदक

विरूद्ध

1. शैलेन्द्रसिंह पिता दिलीपसिंह राजपूत निवासी-गांधी नगर कालोनी उज्जैन जिला उज्जैन
2. मोहनलाल पिता स्व. कृष्णप्रसाद पड्या निवासी-लक्ष्मीबाई रोड़ जावरा रतलाम (म.प्र.)

.........प्रतिनिगरानीकर्ता /अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता अधीनस्थ तहसीलदार तह. जावरा के प्रकरण क्र. 43/अ-6/13-14 आदेश दिनांक 23.01.16 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर प्रस्तुतः-

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि, अनावेदक क्र. 1 द्वारा अनावेदक क्र. 2 के विरूद्ध धारा 109,110 का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में अनावेदक क्र. 1 द्वारा नामांतरण चाहा था अनावेदक क्र. 1 क्रेता ने भूमि सर्वे क्र. 136/1/2 में से 1.52 हे. भूमि अनावेदक क्र. 2 से क्रय की उक्त भूमि अनावेदक क्र. 2 ने रामचंद्र पिता नाथुजी निवासी उपलाई से क्रय की थी उक्त भूमि का वास्तव में कोई बंटाकन नहीं हुआ है जिसका राजस्व रिकार्ड में ट्रेस नक्शा यथावत बना हुआ है। विक्रेता का कभी भी मौके पर कोई कब्जा नही रहा है पूर्व से एवं वर्तमान में कब्जा आपत्तिकर्ता निगरानीकर्ता का इसके पिता के समय से चला आ रहा है। वाद ग्रस्त भूमि का कब्जा कभी भी पूर्व भूमि स्वामियों का नही रहा है बगैर कब्जे के वादग्रस्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में रजिस्ट्रीया संपादित कर कब्जा असत्य रूप से अंकित करवाया जा रहा है जबकि भौतिक सत्यापन

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1333-तीन/16 **जिला** - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर, से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-3-19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** (3)	